रजिस्टर्ड सं० डी०-222

REGISTERED NO. D-222

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 21, 1973/वैशाख 1, 1895

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 21, 1973/VAISAKHA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given in this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये विधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1972

का. नि. आ. 111.—नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 74, तारीख 10 फरवरी, 1964 के साथ प्रकाशित नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—

(1) इन विनियमों का नाम नौसेना (पेंशन) . . . . . संशोधन विनियम, 1972 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **विनियम 51 का संशोधन.**—नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) विनियम 51 में—

(1) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"कुटुम्ब उपदान"

(2) उपविनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में से किसी में जब किसी आफिसर की मृत्यु हो जाए, उस आफिसर की विधवा, यदि वह उसकी मृत्यु के समय अपने पति से पृथक नहीं थी, बच्चा/बच्चे/माता-पिता को (उपविनियम (2) के नीचे स्पष्टीकरण 1 में कथित शर्तों के अधीन रहते हुए), विधवा/बच्चा/बच्चे/माता-पिता के ऐसे विशेष कुटुम्ब पेंशनीय अवार्डों के अतिरिक्त, जिनके लिए वह/वे विनियम 50 के अधीन पात्र हो सकेगा/सकेंगे, उपविनियम (3) में विनिर्दिष्ट समुचित दर पर उपदान अनुदत्त किया जा सकेगा" ।

(3) उपविनियम (2) में,

(क) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे,

"(घ) भूमि या समुद्री सुरंगें बिछाते या हटाते हुए मारा गया है या उसके परिणामस्वरूप हुई क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु होती है, या

(क) गोता लगाने के कर्तव्य पर होते हुए मारा गया है या उसके परिणामस्वरूप हुई क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु होती है, या

(ख) किसी पनडुब्बी में कर्तव्य पर होते हुए या उचित प्राधिकार के अधीन किसी पनडुब्बी में कर्तव्य पर ले जाने के दौरान मारा गया है या पूर्वोक्त परिस्थितियों के अधीन पनडुब्बी पर हुई क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु होती है।"

(ख) अंत पर का विद्यमान स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार यथा संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 2.—उपविनियम (3) में विनिर्दिष्ट दर पर किसी आफिसर के बच्चे को उपदान केवल तब अनुदत्त किया जाएगा,

यदि विशेष कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र उस आफिसर की विधवा न हो और बच्चा/बच्चे विनियम 50, 54 और 55 के अधीन बाल-भत्ते के लिए, पात्र हों।

(2) यदि उस आफिसर की या तो विशेष कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र विधवा या बाल-भत्ते के लिए पात्र कोई बच्चा नहीं है तो माता-पिता की धनसंबंधी परिस्थितियां और क्या विधवा/बच्चा (बच्चे) मृत आफिसर पर आश्रित था/थे, इन बातों को विचार में लाए बिना उपविनियम (3) में विनिर्दिष्ट दर पर उपदान अनुदत्त किया जाएगा।"

(4) उपविनियम (3) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

आफिसर का रैंक	जब कोई अनुग्रहपूर्वक प्रतिकर कुटुम्ब को दिया जाता है		अन्यथा	
	विधवा/बच्चा/माता-पिता		विधवा/बच्चा/माता-पिता	
	रु०	रु०	रु०	रु०
सब-लैफ्टीनेन्ट .	2000	1000	3000	1500
लैफ्टीनेंट . .	2670	1335	4500	2250
लैफ्टीनेंट कमांडर .	4000	2000	6500	3250
कमांडर . .	6000	3000	8000	4000
कैप्टन (उस रैंक में 5 वर्ष से कम) . .	8000	4000	9700	4750
कैप्टन (उस रैंक में 5 वर्ष या उस से अधिक)	10670	5335	11000	5500
रियर एडमिरल .	13000	6500	13000	6500
वाइस एडमिरल .	14500	7250	14500	7250
एडमिरल . .	16000	8000	16000	8000

3. विनियम 133 का संशोधन.—उक्त विनियम के विनियम 133 में,

(1) उपविनियम (क) में, खण्ड (4) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(5) भूमि या समुद्री सुरंगें बिछा देते या हटाते हुए मारा गया है या उसके परिणामस्वरूप हुई क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु होती है, या

(6) गोता लगाने के कर्तव्य पर होते हुए मारा गया है या उसके परिणामस्वरूप हुई क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु होती है, या

(7) किसी पनडुब्बी में कर्तव्य पर होते हुए या उचित प्राधिकार के अधीन किसी पनडुब्बी में कर्तव्य पर ले जाने के दौरान मारा गया है या पूर्वोक्त परिस्थितियों के अधीन पनडुब्बी पर हुई क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु होती है।"

(2) उपविनियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) कुटुम्ब उपदान की दर निम्नलिखित है" :—

नौसैनिक का रैंक	जब कोई अनुग्रहपूर्वक प्रतिकर कुटुम्ब को दिया जाता है।	अन्यथा
आनरेरी लैफ्टिनेंट . . .	1200	1600
आनरेरी सब लैफ्टिनेंट . . .	1200	1500
मास्टर चीफ पेटी आफिसर वर्ग 1 .	*1200	*1400
मास्टर चीफ पेटी आफिसर वर्ग 2 .	*1200	*1300
चीफ आरटीफिशयर/चीफ मैकेनिशियन .	900	1000
चीफ पेटी आफिसर/ आरटीफिशयर वर्ग 1, 2 और वर्ग 3 मैकेनिशियन वर्ग 1, 2 और 3	600	1000
पेटी आफिसर/आरटीफिशयर वर्ग 4/मैकेनिशियन वर्ग 4 . . .	400	650
उच्चतर नाविक और समतुल्य /आरटीफिशयर वर्ग 5 आरटीफिशयर कार्यविधि वर्ग 4	300	550
योग्य नाविक और समतुल्य . .	250	450
साधारण नाविक और समतुल्य . .	250	450
बालक/शिशु	250	250

*वायु सेना की ओर एम० डब्लू० ओ०/डब्लू० ओ० को यथा लागू।

4. उक्त विनियम के विनियम 189 में, उपविनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(3) ऐसा पेंशनर, जो निम्नलिखित प्राधिकारियों में किसी एक से हस्ताक्षरित जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है, वैयक्तिक उपस्थिति से भी छूट प्राप्त है :—

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति,

(2) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार,

(3) कोई ऐसा पेंशनकृत आफिसर, जिसने सेवा-निवृत्ति के पूर्व मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया है,

(4) सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी,

(5) मुंसिफ

(6) डाकपाल

(7) विभागीय उपडाकपाल,

(8) डाकघर का निरीक्षक,

(9) भारतीय रिजर्व बैंक का वर्ग 1 अधिकारी,

(10) भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी,

(11) भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में अभिकर्ता के रूप में या एकाउन्टेंट के रूप में नियुक्त उप-एकाउन्टेंट,

(12) भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी बैंक का अधिकारी,

(13) विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत या गांव पंचायत का मुखिया,

(14) गांव की कार्यपालिका समिति का मुखिया

(15) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट बैंक का, उस बैंक से अपनी पेंशन पाने वाले पेंशनर के बारे में, अधिकारी ।

[फाइल सं. पी. एन. 2238/8]

आर. एन. डे, उपसचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 18th December, 1972

S.R.O. 111.—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Navy (Pension) Regulations, 1964, published with the notification of the Government of India, in the Ministry of Defence No. S.R.O. 74 dated the 10th February, 1964, namely:—

1. **Short title and Commencement:**

(1) These regulations may be called the Navy (Pension) ——Amendment Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to regulation 51.—In the Navy (Pension) Regulations, 1964 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 51:—

(1) for the marginal heading "CS 92/IV/68", the following marginal heading shall be substituted, namely :—

"Family Gratuity"

(2) for sub-regulation (1), the following regulation shall be substituted, namely:—

"(1) When the death of an officer occurred in any of the circumstances specified in sub-regulation (2), the widow of the officer, if she was not separated from her husband at the time of his death, child/children/parent(s) (Subject to the conditions stated in Explanation 1 below sub regulation (2), may, in addition to the special family pensionary awards to the widow/child/children/parent(s) to which he/she/ they may be eligible under regulation 50, be granted a gratuity at the appropriate rate specified in sub-regulation (3)".

(3) in sub-regulation (2),

(a) after clause (c), the following clauses shall be inserted,

"(d) is killed while laying or clearing land or sea mines or dies due to injuries sustained as a result thereof, or

(e) is killed while on diving duty or dies due to injuries sustained as a result thereof, or

(f) is killed while on duty in a submarine or while being carried on duty in a submarine under a proper authority, or dies due to injuries sustained on a submarine under the foregoing circumstances".

(b) the existing Explanation at the end shall be numbered as Explanation 1, and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:—

"**Explanation 2.**—(1) A gratuity to the child(ren) of an officer shall be granted at the rate specified in sub-regulation (3) only if the officer does not leave a widow eligible for special family pension and the child(ren) is eligible for child(ren) allowance under regulation 50, 54 and 55.

(2) A gratuity to the parent(s) of an officer shall be granted at the rate specified in sub-regulation (3), if the officer does not leave either a widow eligible for special family pension or a child eligible for child allowance, irrespective of the pecuniary circumstances of the parent(s) and whether she/he/they was/were dependant on the deceased officer".

(4) in sub-regulation (3), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

Rank of the Officer	When any ex-gratia compensation is paid to the family		Otherwise	
	Widow/ Child (ren)	Parent (s)	Widow/ Child (ren)	Parent (s)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Sub-Lieutenant . .	2000	1000	3000	1500
Lieutenant . . .	2670	1335	4500	2250
Lieutenant Commander .	4000	2000	6500	3250
Commander . . .	6000	3000	8000	4000
Captain (less than 5 years in the rank) . .	8000	4000	9500	4750
Captain (5 years or over in the rank) . . .	10670	5335	11000	5500
Rear Admiral . . .	13000	6500	13000	6500
Vice Admiral . . .	14500	7250	14500	7250
Admiral	16000	8000	16000	8000

3. **Amendment of regulation 133.**—In regulation 133 of the said regulations,

(1) in sub-regulation (a), after clause (iv), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(v) is killed while laying or clearing land or sea mines or dies due to injuries sustained as a result thereof.

(vi) is killed while on diving duty or dies due to injuries sustained as a result thereof.

(vii) is killed while on duty in a submarine or while being carried on duty in a submarine under a proper authority, or dies due to injuries sustained on a submarine under the foregoing circumstances".

(2) for sub-regulation (c), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(c) The rates of family gratuity are:—

Rank of Sailor	When any ex-gratia compensation is paid to the family	Otherwise
Honorary Lieutenant	1200	1600
Honorary Sub-Lieutenant . . .	1200	1500
Master Chief Petty Officer Class I .	*1200	@1400
Master Chief Petty Officer Class II .	*1200	@1300
Chief Artificer/Chief Mechanician .	900	1000
Chief Petty Officer/Artificer I, II and III Classes/Mechanician I, II and III Classes	600	1000
Petty Officer/Artificer IV Class/Mechanician IV Class	400	650
Leading Seaman and equivalent/Artificer V Class/Artificer Acting IV Class	300	550
Able Seaman and equivalent . .	250	450
Ordinary Seaman and equivalent . .	250	450
Boys/Apprentices . . .	250	250

*As applicable to MWO/WO on Air Force side.

@NI 15/69.

4. In regulation 189 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(3) A pensioner who produces a life certificate signed by any one of the following authorities is also exempted from personal appearance:—

(i) Any person exercising the powers of a magistrate under the Criminal Procedure Code, 1898 (5 of 1898),

(ii) A Registrar or Sub-Registrar under the Registration Act, 1908 (16 of 1908),

(iii) Any pensioned officer who before retirement exercised the powers of a magistrate,

(iv) Any Gazetted officer of Government,

(v) A munsiff,

(vi) A Post master,

(vii) Departmental Sub-Post Master,

(viii) An Inspector of Post Offices,

(ix) A Class I officer of the Reserve Bank of India,

(x) An officer of the State Bank of India,

(xi) A Sub-Accountant appointed as an Agent or as an Accountant at a Branch of the State Bank of India,

(xii) An officer of a subsidiary bank of the State Bank of India,

(xiii) Head of a village Panchayat, Gram Panchayat or Gaon Panchayat,

(xiv) Head of an Executive Committee of a village.

(xv) An officer of a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) in respect of a pensioner drawing his/her pension through that bank.

[File No. PN/2238/VIII]

R. N. DE, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1973

का. नि. आ. 112.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री महेशचन्द्र शाह, छावनी बोर्ड, अल्मोड़ा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं।

[फाईल नं. 29/46/सी./एल. एंड सी./66/764-सी./डी. (क्यू. एण्ड सी.)]

New Delhi, the 6th April, 1973

S.R.O. 112.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri Mahesh Chandra Shah has been elected as a member of the Cantonment Board, Almora.

[File No. 29/46/C/L&C/66/764-C/D(Q&C)]

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1973

का. नि. आ. 113.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, जलन्धर (वार्ड 3) की सदस्यता में श्री जगन्नाथ के निर्वाचन को अपास्त करने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल सं. 29/34/सी/एल एण्ड सी/66/784-सी/डी. (क्यू. एण्ड सी.)]

New Delhi, the 9th April, 1973

S.R.O. 113.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Jullundur (Ward No. III) owing to setting aside the election of Shri Jagan Nath.

[File No. 29|34|C|L&C|66|784-C|D|(Q&C)]

का. नि. आ. 114.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 11 जून, 1973 की उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को जलंधर छावनी में वार्ड नं. 3 में आकस्मिक निर्वाचन किए जाएंगे।

[फाइल सं. 29/34/सी/एल एण्ड सी/66/784-सी/1/डी. (क्यू. एण्ड सी.)]

S.R.O. 114.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 11th June, 1973 as the date on which casual elections in Ward No. III in Jullundur Cantonment shall be held.

[File No. 29|34|C|L&C|66|784-C|1|D(Q&C)]

का. नि. आ. 115.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री उत्तम सिंह, छावनी बोर्ड, बकलोह के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं।

[फाइल सं. 29/21/सी/एल एंड सी/66/788-सी./डी. (क्यू. एण्ड सी.)]

S.R.O. 115.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri Uttam Singh has been elected as a member of Cantonment Board, Bakloh.

[File No. 29|34|C|L&C|66|784-C|1|D(Q&C)]

का. नि. आ. 116.—छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री जे. एल. आर्य प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, के त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड दीनापुर की सदस्यता में एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल सं. 19/1/सी./एल एण्ड सी/65/792-सी./डी. (क्यू. एण्ड सी.)]

S.R.O. 116.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Dinapore by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Shri J. L. Arya Magistrate 1st Class.

[File No. 19/1/C/L&C/65/792-C/D(Q&C)]

का. नि. आ. 117.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री के. के. प्रसाद प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, उस अधिनियम की धारा 13(3) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट पटना द्वारा श्री जे. एल. आर्य प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है के स्थान पर छावनी बोर्ड, दानापुर के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया गया है।

[फाइल सं. 19/1/सी./एल. एण्ड सी./65/792-सी./1/डी. (क्यू. एण्ड सी.)]

S.R.O. 117.—In pursuance of sub section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri K. K. Prasad Magistrate 1st Class has been nominated as a member of the Cantonment Board Dinapore by the District Magistrate Patna in exercise of the powers conferred under section 13(3)(b) of that Act vice Shri J. L. Arya Magistrate 1st Class resigned.

[File No. 19/1/C/L&C/65/792-C/1/D(Q&C)]

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1973

का. नि. आ. 118.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, सिकन्दराबाद की सदस्यता में ले. कर्नल सोहराब के त्याग-पत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है।

[फाइल सं. 19/39/सी./एल एण्ड सी./65/790-सी/डी. (क्यू. एण्ड सी.)]

New Delhi, the 10th April, 1973

S.R.O. 118.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Secunderabad by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Lt. Col. Sohrab.

[File No. 19|39|C|L&C|65|790-C|D(Q&C)]

का. नि. आ. 119.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ले. कर्नल जे. ए. खान को ले. कर्नल सोहराब के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड सिकन्दराबाद के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल सं. 19/39/सी/एल एण्ड सी/65/790-सी/1/डी. (क्यू. एण्ड सी.)]

एस. पी. मदान, अवर सचिव.

S.R.O. 119.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. J. A. Khan has been nominated as a member of the Cantonment Board Secunderabad vice Lt. Col. Sohrab who has resigned.

[File No. 19|39|C|L&C|65|790-C|1|D(Q&C)]
S. P. MADAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973